# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 168/2018** **दायर दिनांकः 13.09.2018**

**उनवान**

1. भोलीबाई आयु 70 वर्ष पुत्री मूल्या पत्नी कन्हैयालाल जाति कोली निवासी गगचाना तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज0।

वादिया

**बनाम**

1. शंकरलाल आयु 60 वर्ष पुत्र मूल्या जाति कोली निवासी चरडाना हाल मुकाम पेट्रोल पम्प के पास सालपुरा स्टेशन कवाई जिला बारां राज0।
2. दयाकृष्ण दत्तक पुत्र मन्ना जाति कोली निवासी चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. रामकिशन आयु 50 वर्ष पुत्र मदना जाति कोली
4. श्योजीलाल आयु 45 वर्ष पुत्र मदना जाति कोली
5. चन्दालाल आयु 40 वर्ष पुत्र मदना जाति कोली निवासी गण चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. जशोदा आयु 65 वर्ष पुत्री पप्पूलाल जाति कोली निवासी खेडली जागीर तहसील बारां जिला बारां राज0।
7. भूली आयु 55 वर्ष पुत्री मदना पत्नी पप्पूलाल जाति कोली निवासी नागादेव मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
8. केला आयु 42 वर्ष पुत्री मदना पत्नी चतुर्भुज जाति कोली निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0।
9. बिरधीबाई आयु 36 वर्ष पुत्री मदना पत्नी हंसराज जाति कोली निवासी गगचाना तहसील छीपाबडोद जिला बारां राज0।
10. ललिता आयु 30 वर्ष पुत्री मदना पत्नी श्यामलाल जाति कोली निवासी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां राज0।
11. रामनारायण आयु 50 वर्ष पुत्र कंवरया जाति कोली निवासी चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0।
12. चन्दालाल आयु 40 वर्ष पुत्र कंवरया जाति कोली निवासी जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।

13. केशरबाई आयु 45 वर्ष पुत्री कंवरया पत्नी स्व0 बंशीलाल जाति कोली निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0।
14. भंवरीबाई आयु 70 वर्ष बेवा कंवरया जाति कोली निवासी चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0।
15. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर. टी. एक्ट.**

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल नागर
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

**निर्णय** **दिनांक 27/03/2023**

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादिया ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम चरडाना तहसील अटरू जिला बाां में खाता संख्या 55 के ख0नं0 8 का रकबा 7 बिस्वा, ख0न0 70 का रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 108 का रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 109 का रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 112 का रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 124 का रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 128 का रकबा 2 बीघा, ख0नं0 129 का रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 130 का रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 131 का रकबा 17 बिस्वा, ख0नं0 132 का रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 133 का रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 134 का रकबा 10 बिस्वा, ख0नं0 135 का रकबा 2 बीघा, ख0नं0 136 का रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 137 का रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 138 का रकबा 13 बिस्वा, ख0नं0 139 का रकबा 1 बीघा, ख0नं0 140 का रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 224 का रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 444 का रकबा 18 बीघा,ख0नं0 445 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 22 का रकबा 91 बीघा 15 बिस्वा आराजी वादिया व प्रतिवादी क्रम 1 के पिता मूल्या व प्रतिवादी क्रम 2 दत्तक पुत्र के पिता मन्ना व देवबक्स प्रतिवादी क्रम 3 ता 11 के पिता मदना व प्रतिवादी क्रम 12 लगायत 15 के पिता कंवरया के शामलाती खाते दर्ज थी। सभी खातेदारान की मृत्यु हो चुकी है। वादिया व प्रतिवादी क्रम 1 खातेदार मूल्या के पुत्र व पुत्री वारिस है। प्रतिवादी क्रम 2 खातेदार मन्ना व देवबक्स का दत्तक पुत्र वारिस है, प्रतिवादी क्रम 3 लगायता 10 खातेदार मदना के वारिस है एवं प्रतिवादी क्रम 12 लगायत 15 खातेदार कंवरया के वारिस हैं। खातेदार पानाबाई की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान 1 लगा 10 है। वादिया के पिता का सजरा निम्न प्रकार है–

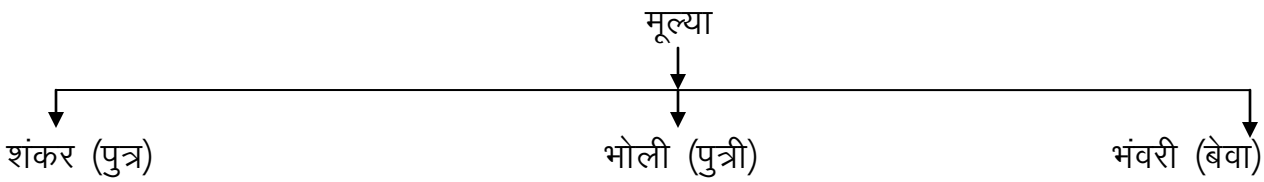


वादिया खातेदार मूल्या की पुत्री है परन्तु खातेदार मूल्या के वारिसान ने एक इंतकाल नम्बर 94 दिनांक 26.10.1972 को ग्राम पंचायत चरडाना से मिलकर वादिया का नाम इंतकाल नम्बर 94 में दर्ज न करवा कर शेष वारिस प्रतिवादी क्रम 1 व भंवरीबाई मृतक ने अपना नाम नामान्तरण में दर्ज करवाकर इंतकाल अपने हक में तस्दीक करवा लिया जिसका ज्ञान वादिया को नहीं होने दिया। प्रतिवादी क्रम 1 ने इंतकाल नंबर 94 दिनांक 26.10.1972 को अपने हक में तस्दीक होने के पश्चात दिनांक 26.09.1973 को पुनः एक इंतकाल नम्बर 117 के अनुसार वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवा लिया। इंतकाल नंबर 117 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 व भंवरीबाई मृतक के हिस्से में आराजी ख0नं0 109 का रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 112 का रकबा 5 बीघा, ख0नं0 128 का रकबा 11 बिस्वा, ख0नं0 129 का रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 मिन 130 का रकबा 19 बिस्वा, ख0नं0 मिन 133 का रकबा 15 बिस्वा, ख0नं0 140 का रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 444 का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा ,ख0नं0 445 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल 9 किता का रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। नकल जमाबन्दी संवत 2031 से 2034 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 6 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट विभाग नये ख0नं0 171 का रकबा 0.71 है0, ख0नं0 199/686 का रकबा 0.09 है0, ख0नं0 201/685 का रकबा 0.09 है0, ख0नं0 202 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 210/687 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 556/665 का रकबा 0.09 है0, ख0नं0 559 का रकबा 0.54 है0 कुल 7 किता का रकबा 1.77 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है जो प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। भंवरीबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस वादिया व प्रतिवादी क्रम 1 है। प्रतिवादी क्रम 1 ने वादिया के पिता मूल्या के सभी वारिसों के नाम इंतकाल तस्दीक न करवाकर सरपंच ग्राम पंचायत चरडाना से सांठ गांठ कर इंतकाल नंबर 94 अपने हक में खुलवा लिया जिसमें वादिया का नाम इंतकाल में दर्ज नहीं किया गया । ग्राम पंचायत चरडाना ने दिनांक 26.10.1972 को इंतकाल नम्बर 94 ग्राम चरडाना बिना छान बीन, बिना वादिया को सुनवाई का अवसर दिए वादिया की गैर हाजरी में तस्दीक किया है जो खिलाफ कानून एवं न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय एवं प्रभाव शून्य है। वादिया मूल्या की वैधानिक वारिस है

जो अपने पिता के हिस्से में 1/2 की उत्तराधिकारी है जिसका भी नाम इंतकाल में तस्दीक होना चाहिए था। वादिया ने इस वर्ष बैंक से कृषि ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का के पास दिनांक 17.05.2018 को रिकार्ड की नकलें लेने गई तब नकल लेने पर इस तथ्य का पता चला कि वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया। वाद पत्र की मद नं0 7 में वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज होने के आधार पर वह आराजी को अन्य व्यक्ति को बेचान कर खुर्द–बुर्द कर हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किए जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नही है यदि प्रतिवादी क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कृत्य में सफल हो गया तो वादिया को गया तो वादिया को अपने हिस्से की आराजी से वंचित होना पडेगा जिससे वादिया को अपरिमितक्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से होना सभंव नहीं है तथा वादिया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा अस्तु वादिया इंतकाल नंबर 94 दिनांक 26.10.1972 को प्रभाव शून्य घोषित करवाकर वाद पत्र की मद नं0 7 में वर्णित आराजी में वादिया का हिस्सा 1/2 अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी पृथक से विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने खाते दर्ज करवाकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वह आराजी को रहन, बेचान, खुर्द–बुर्द कर किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण न करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। प्रतिवादी क्रम 2 ता 15 आवश्यक पक्षकार है इसलिए उन्हे इस वाद में पक्षकार बनाया गया है परन्तु इनमें कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है एवं तहसीलदार अटरू भूमिधारी होने से तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 16 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादिया ने प्रतिवादी क्रम 16 तहसीलदार अटरू जर्ये जिला कलेक्टर बारां को धारा 80 सीपीसी0 के तहत दिनांक 05.09.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस 2 माह की अवधि का प्रेषित कर दिया गया है परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुए बिना ही यह वाद धारा 80(2) सीपीसी0 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 26.10.1972 को इन्तकाल नम्बर 94 में वादिया का खाते में नाम दर्ज नहीं होने एवं दिनांक 17.05.2018 को राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त कर तहसीलदार साहब अटरू से वादिया का नाम खाते में दर्ज करने का निवेदन करने पर तहसीलदार साहब द्वारा न्यायालय का आदेश लाने पर ही भूमि पर नाम दर्ज करने की कहने पर अन्तिम बार दिनांक 05.90.2018 को धारा 80 सीपीसी0 का नोटिस प्रेषित करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम चरडाना तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद

राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योगय है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आश्य की सादिर फरमाई जावे :–

(अ) कि इन्तकाल नंबर 94 दिनांक 26.10.1972 को प्रभाव शून्य घोषित कर निरस्त किया जाकर वाद पत्र की मद नं0 7 में वर्णित वाके माल ग्राम चरडाना तहसील अटरू में स्थित आराजी खाता संख्या 202 की कुल किता 7 का रकबा 1.77 है0 आराजी में वादिया को हिस्सा 1/2 की खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं वादिया का हिस्सा 1/2 अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी पृथक कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर कब्जा वादिया को दिलवाया जावे।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादिया के हिस्से की आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, रहन, खुर्द–बुर्द कर किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें। उक्त समस्त कृत्य न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीया को प्रदान की जावें।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण जवाब बन्द कर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 2 ल 14 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 लगायत 20 स्वीकार है। अनुतोष वादिया स्वीकार है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे। प्रतिवादी क्रम 15 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 भोलीबाई पुत्री मूल्या पत्नी कन्हैयालाल जाति कोली निवासी गगचाना तहसील छीपाबडौद का शपथ पत्र पेश किया गया। ग्राम चरडाना तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 55 की कुल किता 22 रकबा 91 बीघा 15 बिस्वा भूमि मेरे व प्रतिवादी क्रम 1 के पिता मूल्या व प्रति0 क्रम 2 दत्तक पुत्र के पिता मन्ना व देवबक्श एवं प्रति0 क्रम 3 ता 11 के पिता मदना व प्रति0क्रम 12 लगा 15 के पिता कंवरया के शामलाती खाते दर्ज थी। सभी खातेदारान की

मृत्यु हो चुकी है। मैं स्वयं एवं प्रति. क्रम 1 शंकरलाल, खातेदार मूल्या के पुत्र व पुत्री वारिस हें प्रति. क्रम 2 खातेदार मन्ना व देवबक्स का दत्तक पुत्र वारिस है एवं प्रति. क्रम 3 लगा 10 खातेदार मदना के वारिस है एवं प्रति. क्रम 12 लगा 15 खातेदार कंवरया के वारिस है। खातेदार पानाबाई की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान 1 लगा 10 है। खातेदार मूल्या के वारिसान मैं स्वयं उनकी पुत्री वादिया एवं उनका पुत्र प्रतिवादी क्रम 1 व उनकी पत्नी भंवरी है। जिसमें भंवरी की मृत्यु हो चुकी है। मैं स्वयं वादिया मृतक खातेदार मूल्या की पुत्री हूॅ। परन्तु खातेदार मूल्या के वारिसान ने एक इंतकाल नम्बर 94 दिनांक 26.10.1972 को ग्राम पंचायत चरडाना से मिलकर मेरा नाम इंतकाल नं0 94 में दज्र न करवाकर शेष वारिस प्रतिवादी क्रम 1 व भंवरीबाई ने अपना नाम नामान्तरण में दर्ज करवाकर अपने हक में इंतकाल तस्दीक करवा लिया। जिसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई। और प्रति. क्रम 1 ने इंतकाल नं0 94 दिनांक 26.10.1972 को अपने हे में तस्दीक होने के पश्चात दिनांक 26.09.1973 को पुनः इंतकाल नं0 117 के अनुसार वाद पत्र में वर्णित आराजी खाता विभाजन करवा लिया। मैं मृतक खातेदार मूल्या की वैधानिक वारिस उनकी पुत्री हूॅ जो अपने पिता के हिस्से में 1/2 की उत्तराधिकारी हूॅ। मेरा नाम इंतकाल में तस्दीक होना चाहिए। अतः इंतकाल नं0 94 दिनांक 26.10. 1972 को प्रभावशून्य घोषित करवाकर वाद पत्र की मद नं0 7 में वर्णित आराजी में अपना हिस्सा 1/2 की खातेदार कृषक घोषित होने की अधिकारी है।

Pw2 रामनारायण पुत्र कंवरिया जाति कोली निवासी चरडाना, pw3 चन्दालाल पुत्र मदना जाति कोली निवासी चरडाना, pw4 भूली बाई पुत्री मदना पत्नि पप्पूलाल जाति कोली निवासी चरडाना तहसील अटरू ने शपथ पत्र पेश कर बयान किये कि वादिया भोलीबाई मेरी बुआजी है। जो ग्राम चरडाना में आती जाती रहती है। ग्राम एव माल चरडाना तहसील अटर जिला बारा में खाता सं0 55 की कुल 22 किता की 91 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादिया भोलीबाई के पिता मूल्या व प्रति क्रम 2 दत्तक पुत्र दयाकिशन के पिता मन्ना व देवबक्श व प्रतिवादी क्रम 3 ता 11 के पिता मदना व प्रतिवादी क्रम 12 लगायत 15 के पिता कँवरिया के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही थी । जिनमें सभी खातेदारान की मृत्य हो चुकी है। वादिया स्वयं व प्रतिवादी क्रम 1 खातेदार मूल्या के पुत्र व पुत्री वारिस है। खातेदार मूल्या के वारिसान में वादिया स्वयं उनकी पुत्री व भंवरी बेवा है जिसमें भंवरी की मृत्यु हो चुकी है। खातेदार मूल्या के वारिसान ने एक इंतकाल न. 94 दिनांक 26–10–1972 को ग्राम पंचायत चरडाना से मिलकर वादिया का नाम इतकाल नं0 94 में दर्ज न करवा कर शेष वारिस प्रतिवादी क्रम 1 ने अपना नाम नामान्तरण में दर्ज करवाकर इंतकाल अपने हक में तस्दीक करवा लिया। जिसका वादिया को ज्ञान नहीं होने दिया। जिसके पश्चात् दिनांक

26–9–1973 को पुनः इंतकाल नं0 117 के अनुसार वाद पत्र की मद नं 1 वर्णित आराजी में खाता विभाजन करवा लिया जिसके अनुसार प्रति क्र. 1 व वादिया के हिस्से में आराजी ख. नं. 109 की 6 बीघा 7 बिस्वा खाता न. 112 की 5 बीघा 128 की 11 बिस्वा 129 की 2 बिस्वा 130 की 19 बिस्वा 133 की 15 बिस्वा, 140 की 1 बीघा 7 बिस्वा 144 की 1 बीघा 3 बिस्वा 445 की 2 बीघा 17 बिस्वा कुल 9 किता की 19 बीघा 1 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। वाद पत्र की मद न0 6 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नये खसरा न. 171, 201/685, 556/665, 559 कुल 7 किता रकबा 1.77 है. बनाये गये है जो प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 ने वादिया के पिता मूल्या के सभी वारिसो के नाम इंतकाल तस्दीक न करवाकर सरपंच ग्राम पंचायत चरडाना से सांग कर इंतकाल नं0 94 अपने हक में खुलवा लिया। इसलिये वादिया इंतकाल नं. 94 दि. 26–10–1972 को प्रभाव शून्य घोषित कर निरस्त करवा कर वाद पत्र की मद न. 7 में वर्णित ग्राम व माल चरडाना तह0 अटरू में स्थित आराजी खाता सं0 202 की कुल किता 7 रकबा 1.77 है0 आराजी में से वादिया 1/2 हिस्से की खातेदार कृषक घोषित होकर 1/2 हिस्सा अच्छी से से अच्छी व बुरी में से बुरी पृथक खाते दर्ज करवा कर प्रति क्र. 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारणी हैं कि वह वादिया के हिस्से की आराजी को कहीं रहन बैचान, खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण नहीं करे।

4. अभिभाषक वादीया बहस एकतरफा सुनी। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 2 ता 14 ने कोई बहस नहीं की। अभिभाषक वादीया ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम चरडाना की विवादित आराजी साबिक ख0नं0 8 का रकबा 7 बिस्वा, ख0न0 70 का रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 108 का रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 109 का रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 112 का रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 124 का रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 128 का रकबा 2 बीघा, ख0नं0 129 का रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 130 का रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 131 का रकबा 17 बिस्वा, ख0नं0 132 का रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 133 का रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 134 का रकबा 10 बिस्वा, ख0नं0 135 का रकबा 2 बीघा, ख0नं0 136 का रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 137 का रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 138 का रकबा 13 बिस्वा, ख0नं0 139 का रकबा 1 बीघा, ख0नं0 140 का रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 224 का रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 444 का रकबा 18 बीघा,ख0नं0 445 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 22 का रकबा 91 बीघा 15 बिस्वा आराजी वादिया व प्रतिवादी क्रम 1 के पिता मूल्या व प्रतिवादी क्रम 2 दत्तक पुत्र के पिता मन्ना व देवबक्स प्रतिवादी क्रम 3 ता 11 के पिता मदना व प्रतिवादी क्रम 12 लगायत 15 के पिता कंवरया के शामलाती खाते दर्ज थी जिसमें मूल्या का हिस्सा 1/5 था। उक्त शामलाती आराजी

का सभी पांचों सहखातेदारों के मध्य आपसी सहमति से जरिये नामान्तरण संख्या 117 दिनांक 26.06. 1973 से खाता विभाजन हुआ, जिसमे साबिक ख0नं0 109 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 112 रकबा 5 बीघा, खनं0 128 रकबा 11 बिस्वा, ख0नं0 129 रकबा 2 बिस्वा, ख0नं0 130 रकबा 19 बिस्वा, खनं0 133 रकबा 15 बिस्वा, ख0नं0 1 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 444 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व ख0नं0 445 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा सहखातेदार मूल्या के हिस्से पृथक से खाता दर्ज हुआ। अभिभाषक वादिया द्वारा आगे कथन किया गया कि वादिया के पिता मूल्या की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा वादिया के भाई शंकर प्रतिवादी क्रम 1 व वादिया की मां भंवरी को कानूनी वारिसान मानकर फौती इंतकाल संख्या 94 दिनांक 26.10.1972 तस्दीक किया गया था। मृतक मूल्या के एक पुत्र शंकर, पुत्री वादिया व बेवा भंवरी थी लेकिन ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्ध तरीकें से वादिया को मूल्या की वारिसान नहीं मानते हुए इंतकाल तस्दीक किया। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादिया मृतक मूल्या की संपत्ति में 1/2 हिस्से की हकदार थी। वादिया की मां भंवरीबाई की भी मृत्यु हो चुकी है अतः वर्तमान में वादिया व प्रतिवादी क्रम 1 शंकर ही वारिसान है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम चरडाना के इन्तकाल नंबर 94 दिनांक 26.10.1972 को प्रभाव शून्य घोषित कर निरस्त किया जाकर वाद पत्र की मद नं0 7 में वर्णित वाके माल ग्राम चरडाना तहसील अटरू में स्थित आराजी खाता संख्या 202 की कुल किता 7 का रकबा 1.77 है0 आराजी में वादिया को हिस्सा 1/2 की खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं वादिया का हिस्सा 1/2 अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी पृथक कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर कब्जा वादिया को दिलवाया जावे।

5. अभिभाषक वादिया की बहस के प्रकाश मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम चरडाना की जमांबदी संवत 2026–30 प्रदर्श 1 के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजी साबिक ख0नं0 8 का रकबा 7 बिस्वा, ख0न0 70 का रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 108 का रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 109 का रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 112 का रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 124 का रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 128 का रकबा 2 बीघा, ख0नं0 129 का रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 130 का रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 131 का रकबा 17 बिस्वा, ख0नं0 132 का रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 133 का रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 134 का रकबा 10 बिस्वा, ख0नं0 135 का रकबा 2 बीघा, ख0नं0 136 का रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 137 का रकबा 5

बिस्वा, ख0नं0 138 का रकबा 13 बिस्वा, ख0नं0 139 का रकबा 1 बीघा, ख0नं0 140 का रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 224 का रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 444 का रकबा 18 बीघा,ख0नं0 445 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 22 का रकबा 91 बीघा 15 बिस्वा आराजी मूल्या, मन्ना व देवबक्स पुत्रान भोला कोली , मदना पुत्र गोबिन्दा व कंवरया पुत्र गणपत कोली हिस्सा बांट बराबर दर्ज रिकार्ड थी। अतः स्पष्ट है कि विवादित आराजी कुल किता 22 कुल रकबा 91 बीघा 15 बिस्वा में वादिया व प्रतिवादी क्रम 1 के पिता मूल्या का हिस्सा 1/5 दर्ज था। वादिया द्वारा पेश ग्राम चरडाना के नामान्तरण संख्या 94 दिनांक 26.10.1972 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहखातेदार मूल्या कोली के फौत होने के बाद उक्त विवादित आराजी में ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा उक्त नामान्तरण तस्दीक करते समय शंकर पुत्र व भंवरी बेवा को ही मृतक मूल्या का वारिसान मानकर फौती इंतकाल दर्ज किया गया था। जबकि वादिया का कथन है कि मृतक मूल्या के एक पुत्री स्वयं वादिया भी थी जिसे वारिसान न मानकर ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्य किया था। वादिया द्वारा पेश ग्राम पंचायत चरडाना के प्रमाण पत्र दिनांक 24.07.2022 मार्कड ए में ग्राम पंचायत ने प्रमाणित किया है कि मूल्या के एक पुत्र शंकर व एक पुत्री भोलीबाई थी। भोलीबाई का विवाह गगचाना निवासी कन्हैयालाल कोली से हुआ है। वादिया द्वारा पेश साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 2 रामनारायण, पीडब्ल्यू 3 चन्दालाल, पीडब्ल्यू 4 भूलीबाई ने अपने सशपथ बयानों व जिरह में स्वीकार किया है कि मृतक मूल्या के 2 संतान –वादिया भोलीबाई व प्रतिवादी क्रम 1 शंकरलाल है और भोलीबाई की शादी गगचाना निवासी कन्हैयालाल के साथ हुई है। अतः ग्राम पंचायत चरडाना के वारिसान प्रमाण पत्र मार्कड ए, साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1 से पीडब्ल्यू 4 एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 14 के इकबाली जवाब दिनांक 29.07.2021 के आधार पर यह साबित होता है कि मृतक खातेदार मूल्या कोली निवासी चरडाना के 3 वारिसान–एक पुत्र शंकर, एक पुत्री भोलीबाई व बेवा भंवरी बाई है। वादिया द्वारा पेश ग्राम चरडाना के नामान्तरण संख्या 94 दिनांक 26.10.1972 प्रदर्श 2 के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्रम पंचायत द्वारा मृतक मूल्या का फौती इंतकाल उसके पुत्र शंकर व बेवा भंवरी बाई के नाम खोला गया था। नामान्तरण पंजिका पर मृतक मूल्या का कोई सजरा अंकित नहीं है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि पटवारी द्वारा फौती इंतकाल खोलते समय और ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल तस्दीक करते समय वादिया भोलीबाई को वारिस नहीं माना गया था या शादी होकर गगचाना रहने से स्वयं वादिया ने हिस्सा नहीं लिया था ? यह तो स्पष्ट है कि तत्समय मृतक मूल्या व उसके वारिसान हिन्दू धर्म के अनुयायि थे और उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से गवर्न होते थे।

अब न्यायालय के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा खोला गया फौती इंतकाल संख्या 94 दिनांक 26.10.1972 तत्समय प्रचलित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विरूद्ध था या नहीं ? इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का अवलोकन किया गया। **अधिनियम की धारा 8 के अनुसार** किसी हिन्दू पुरूष के निर्वसीयत फौत होने पर उसकी संपत्ति पहले प्रथम श्रेणी के वारीसानों में विभाजित होगी और यदि प्रथम श्रेणी का कोई वारीसान नहीं है तो द्वितीय श्रेणी के वारीसानों में विभाजित होगी।

6. इस प्रकरण में मृतक मूल्या के प्रथम श्रेणी के 3 वारीसान –वादिया, प्रतिवादी क्रम 1 व बेवा भंवरीबाई मौजूद थे। अब प्रश्न है क्या हिन्दू मिताक्षरा विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति में पुत्री को सहदायिक (co-parcenar) माना गया है ? क्या तत्समय पुत्री को पिता के संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिकी अधिकार प्राप्त थे ? इस संबंध में इंतकाल तस्दीक करते समय प्रभावी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 का अवलोकन किया जाना आवश्यक हे जो निम्नानुसार है–

**Section 6-** When a male Hindu dies after the commencement of this Act, having at the time of his death an interest in a Mitakshara coparcenary property, his interest in the property shall devolve by survivorship upon the surviving members of the coparcenary and not in accordance with this **Act:**

Provided that, if the deceased had left him surviving a female relative specified in class I of the Schedule or a male relative specified in that class who claims through such female relative, the interest of the deceased in the Mitakshara coparcenary property shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not by survivorship.

Explanation 1.—For the purposes of this section, the interest of a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not.

Explanation 2.—Nothing contained in the proviso to this section shall be construed as enabling a person who has separated himself from the coparcenary before the death of the deceased or any of his heirs to claim on intestacy a shano in the interest referred to therein.

7. धारा 6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में मृतक पुरूष की संयुकत पविार की संपत्ति में पुत्री को सहदायिक नहीं माना गया है और इसीलिए पुत्री को मृतक पुरूष की सयुक्त संपत्ति में हिस्सा व अधिकार दिया जाना आवश्यक नहीं था। माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले में दिये गये ऐतिहासिक फैसले के बाद विधायिका द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन किया गया और हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लागू किया गया जिसमें पुत्रियों को भी पुत्रों के समान मृतक के संयुक्त संपत्ति में सहदायिकी अधिकार दिये गये। यह संशोधन 5 सितम्बर 2005 से प्रभावी है।

8. मृतक मूल्या कोली का फौती इंतकाल संख्या 94 दिनांक 26.10.1972 हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले तस्दीक किया गया था अर्थात तत्समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान प्रभावी थे। अब न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रावधान पूर्वगामी प्रभाव (Retrospective effect) रखते है या पश्चातगामी (prospective effect) ? इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अध्ययन से स्पष्ट है कि यह प्रावधान पश्चातगामी (prospective effect) प्रभाव रखते है। यह स्पष्ट है कि मूल्या कोली की मृत्यु 26.10.1972 से पहले हुई है और इनका फौती इंतकाल संख्या 94 दिनांक 26.10.1972 को तस्दीक हुआ। दिनांक 26. 10.1972 को तस्दीक हुए फौती इंतकाल पर हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अभिभाषक वादिया द्वारा ऐसा कोई भी नियम/अधिनियम/परिपत्र/न्यायिक दृष्टान्त पेश नहीं किया जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि करीब 50 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत चरडाना द्वारा खोला गया इंतकाल संख्या 94 विधिविरूद्ध है।

9. ग्राम चरडाना की जमाबंदी संवत 2031–34 प्रदर्श पी 4 के अनुसार विवादित आराजी कुल किता 9 कुल रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा में सहखातेदार एवं वादिया की मां बेवा भंवरीबाई 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था जिसके सेटलमेन्ट द्वारा नवीन ख0नं0 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श पी 6 के अनुसार

बनाये गये। भंवरीबाई हिस्से की आराजी का अन्तरण ( विरासत/वसीयत/बैचान आदि) कैसे हुआ यह भी साक्ष्य के अभाव में स्पष्ट नहीं है और न ही वादिया द्वारा वाद पत्र में इस संबध में कोई अनुतोष चाहा गया है। ग्राम चरडाना की हाल जमाबंदी अनुसार केवल कुल किता 7 कुल रकबा 1.77 है0 ही वादिया के भाई प्रतिवादी क्रम 1 शंकर के खाते दर्ज है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम चरडाना की आराजी खाता संख्या 198 कुल किता 7 कुल रकबा 1.77 है0 के संबधं में वादिया का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

## —:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम चरडाना की विवादित आराजी खाता संख्या 198 कुल किता 7 कुल रकबा 1.77 है0 के संबधं में पेश वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2023** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**
**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**
**आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)**
**बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

**प्रकरण सं0 168/2018** **दायर दिनांकः 13.09.2018**

**उनवान**

1. भोलीबाई आयु 70 वर्ष पुत्री मूल्या पत्नी कन्हैयालाल जाति कोली निवासी गगचाना तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज0।

वादिया

**बनाम**

1. शंकरलाल आयु 60 वर्ष पुत्र मूल्या जाति कोली निवासी चरडाना हाल मुकाम पेट्रोल पम्प के पास सालपुरा स्टेशन कवाई जिला बारां राज0।
2. दयाकृष्ण दत्तक पुत्र मन्ना जाति कोली निवासी चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. रामकिशन आयु 50 वर्ष पुत्र मदना जाति कोली
4. श्योजीलाल आयु 45 वर्ष पुत्र मदना जाति कोली
5. चन्दालाल आयु 40 वर्ष पुत्र मदना जाति कोली निवासी गण चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. जशोदा आयु 65 वर्ष पुत्री पप्पूलाल जाति कोली निवासी खेडली जागीर तहसील बारां जिला बारां राज0।
7. भूली आयु 55 वर्ष पुत्री मदना पत्नी पप्पूलाल जाति कोली निवासी नागादेव मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
8. केला आयु 42 वर्ष पुत्री मदना पत्नी चतुर्भुज जाति कोली निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0।
9. बिरधीबाई आयु 36 वर्ष पुत्री मदना पत्नी हंसराज जाति कोली निवासी गगचाना तहसील छीपाबडोद जिला बारां राज0।
10. ललिता आयु 30 वर्ष पुत्री मदना पत्नी श्यामलाल जाति कोली निवासी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां राज0।
11. रामनारायण आयु 50 वर्ष पुत्र कंवरया जाति कोली निवासी चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0।
12. चन्दालाल आयु 40 वर्ष पुत्र कंवरया जाति कोली निवासी जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।
13. केशरबाई आयु 45 वर्ष पुत्री कंवरया पत्नी स्व0 बंशीलाल जाति कोली निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0।
14. भंवरीबाई आयु 70 वर्ष बेवा कंवरया जाति कोली निवासी चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0।
15. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर. टी. एक्ट.**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....ग..... रूबरू.....ग.....
बाहाजिरः—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल नागर
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम चरडाना की विवादित आराजी खाता संख्या 198 कुल किता 7 कुल रकबा 1.77 है0 के संबधं में पेश वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.03.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

| मुदई | | मुदालयह | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)